[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 30 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

सं0 23/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार , अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में उक्त सारणी स्तंभ (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि अनुसार यथास्थिति आगे संशोधन किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	62/1995-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 [सा.का.नि. 254 (अ), तारीख 16 मार्च]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, (i) क्रम सं0 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; (ii) क्रम सं0 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
2.	63/1995-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 [सा.का.नि. 255 (अ), तारीख 16 मार्च]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, (i) क्रम सं0 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; (ii) क्रम सं0 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 जून, 2015 से प्रभावी होगी ।

(फा.सं.334/5/2015-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:

(1) मूल अधिसूचना सं0 62/1995-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995, सा.का.नि. 254 (अ), तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र द्वारा अधिसूचना सं. 42/2011-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 2011 सा.का.नि. 937(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2011 द्वारा किया गया था ।

(2) मूल अधिसूचना सं0 63/1995-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995, सा.का.नि. 255 (अ), तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्रद्वारा अधिसूचना सं. 29/2011-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24 मार्च, 2011 सा.का.नि. 241 (अ), तारीख 24 मार्च, 2011 द्वारा किया गया था ।